न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली)
राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट - खिवान्दी

अनवान - वादी बनाम प्रतिवादीगण

सुरेश कुमार पुत्र स्व. जवानाराम उम्र 28 वर्ष जाति घांची निवासी - खिवान्दी तह. सुमेरपुर

1. खियाराम पुत्र स्व. जवानाराम
2. श्रीमति देली w/o स्व. जवानाराम
3. श्रीमति मेघू D/o स्व. जवानाराम
4. श्रीमति भागू D/o स्व. जवानाराम
जातिगण - घांची निवासीगण - खिवान्दी तह. सुमेरपुर (पाली)
5. तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर

राजस्व वाद सं. 87/2014
वाद अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956
अधिवक्ता वादी - श्री महेन्द्र गहलोत
अधिवक्ता प्रतिवादी - श्री जगदीश कुमार माली

निर्णय

दिनांक 23-6-2016

वाद के तथ्य संक्षेप से इस प्रकार है -

1- वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार व अन्य की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि मौजा खिवान्दी के ख.नं. 307 रकबा 1.0100 हैक्टेयर किस्म JN II, ख.नं. 449 रकबा 4.9700 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम कुल रकबा 5.9800 है. आई हुई स्थित है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है।

2. वादी के स्व. पिताजी जवानाराम पुत्र गलबाजी की मृत्यु होने के पश्चात् उनके वारिसान के नाम नामान्तरण सं. 1002 दिनांक 23-2-2009 को दर्ज हुआ जिसमें भूलवश से रूपाराम .. नाम का कोई जायन्दा

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

पुत्र नहीं होने के बावजूद सुरेशकुमार के बजाय पर रूपाराम का राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज हुआ है। जबकि स्व० जवाना पुत्र गलबाजी (फौत) के जायन्दा वारिजान (1) हिंराराम (पुत्र) (2) सुरेशकुमार (पुत्र) (3) हेली (पत्नि) (4) मंजू (पुत्री) (5) भागू (पुत्री) परिवार वंशावली अनुसार सही है।

3- वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम बिवान्दी के राजस्व रेकर्ड में सुरेशकुमार की जगह रूपाराम नाम का गलत इन्द्राज को हटाने एवं रूपाराम की जगह शुद्ध सही नाम सुरेशकुमार (वादी) दर्ज किये जाने का वादी ने निवेदन किया है। जिस पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात वाद में सुनवाई के दौरान हिंराराम प्रति. वादी नं. 1) प्रतिवादी नं. 4 श्रीमति भागू बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकतरफा (Exparty) कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

आज बरोज राजस्थान लोक अदालत अभियान - न्याय आपके द्वार कैम्प बिवान्दी में उपस्थित वादी, प्रतिवादीगण को सुना गया। राजस्व लोक अदालत शिविर में वादी सुरेशकुमार व प्रतिवादी हेली देवी ने वाद में राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा पत्रक पर वादी की पहचान श्री मूलसिंह एडवोकेट एवं प्रतिवादीनी हेलीदेवी की पहचान सरपंच, ग्राम पंचायत, बिवान्दी द्वारा की गई।

4- वादी सुरेश कुमार द्वारा ग्राम पंचायत बिवान्दी से जारी किया हुआ स्व० जवाना के वारिसदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी हेली ने वादी

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज).

वादी सुरेशकुमार का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने बाबत सहमति जताते हुऐ इस मुमार का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया. जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का हमारे द्वारा भली भांति अवलोकन कर पूर्ण परीक्षण किया, जिससे स्पष्ट है कि स्वर्गीय जवाना s/o गल्लाजी घांची नि० बिवान्दी की मृत्यु होने पर तत्कालीन पटवारी बिवान्दी ने विरासत का ना० करण सं. 1002 दिनांक 23/2/2009 में मृतक जवानाराम के वारिसान हिराराम, रुपाराम पि० जवानाराम, देली पत्नि जवानाराम, मंजू, मांगू पुत्रिया जवानाराम के नाम दर्ज कर ना० करण स्वीकृत किया जिसमें रुपाराम नाम गलत दर्ज हुआ क्योंकि पंचायत प्रमाण-पत्र अनुसार स्व० जवानाराम के रुपाराम नाम का कोई पुत्र नहीं है।

अत: जरिये राजीनामा वादी सुरेशकुमार को ग्राम बिवान्दी के राजस्व रेकर्ड खाता सं. 134 (जमाबंदी संवत 2064-2067) का संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है व खाता सं. 134 से त्रुटिपूर्ण इन्द्राज रुपाराम का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती करने का आदेश दिया जाता है। माफिक निर्णय, डिक्री बाद पालना पत्रावली फैसल शुमार हो। डिक्री जारी हो।

पत्रावली नितीज शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

Scanned by CamScanner